

**SPECIAL SUMMONS TO A PERSON ACCUSED OF A PETTY  
OFFENCE**

To..... ( Name of accused )..... of .....  
(address)

WHEREAS your attendance is necessary to answer a charge of a petty offence .....( state shortly the offence charged ), you are hereby required to appear in person ( or by pleader ) before.....( Magistrate ) of .....on the.....day of .....20 or if you desire to plead guilty to the charge without appearing before the Magistrate, to transmit before the aforesaid date the plea of guilty in writing and the sum of.....rupees as fine, or if you desire to appear by pleader and to plead guilty through such pleader, to authorise such pleader in writing to make such a plea of guilty on your behalf and to pay the fine through such pleader. Herein fail not.

Dated, this ..... day of.....20.....

(Seal of the Court)

(Signature)

**Note:- If the accused desires to deposit the amount of fine, he may deposit the fine in any branch of State Bank of India.**

प्रारूप संख्या 30  
छोटे अपराध के अभियुक्त को विशेष समन  
धारा 200 देखिये

प्रेषिती

.....(अभियुक्त का नाम)

.....(पता)

..... के छोटे अपराध (आरोपित अपराध का संक्षिप्त विवरण) के आरोप का उत्तर देने के लिए आपकी हाजिरी आवश्यक है, अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप स्वयं (या प्लीडर द्वारा)..... (मजिस्ट्रेट) के समक्ष .....20.....के .....मास के .....दिन हाजिर हो या यदि आप मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर हुए बिना आरोप के दोषी होने का अभिवचन करना चाहे तो आप दोषी होने का लिखित रूप से अभिवचन और जुर्माने के रूप में ..... रुपये की राशि उपर्युक्त तारिख के पूर्व भेज दे या यदि आप प्लीडर द्वारा जाहिर होना चाहे और दोषी होने का अभिवचन ऐसे प्लीडर की मार्फत करना चाहे तो अपनी ओर से इस प्रकार दोषी होने का अभिवचन करने के लिए आप ऐसे प्लीडर को लिखित रूप से प्राधिकृत करें और ऐसे प्लीडर की मार्फत जुर्माने का संदाय करें। इसमें चूक नहीं होनी चाहियें।

ता0..... के 20.....

न्यायालय की मुद्रा

हस्ताक्षर

नोट :- इस सम्मन में वर्णित अर्थदण्ड की धनराशि संलग्न के द्वारा भारतीय स्टेट बैंक का किसी भी शाखा में जमा करके आप अपना मुकदमा समाप्त करा सकते हैं।

प्रारूप संख्या 30  
छोटे अपराध के अभियुक्त को विशेष समन  
धारा 200 देखिये

प्रेषिती

.....(अभियुक्त का नाम)

.....(पता)

..... के छोटे अपराध (आरोपित अपराध का संक्षिप्त विवरण) के आरोप का उत्तर देने के लिए आपकी हाजिरी आवश्यक है, अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप स्वयं (या प्लीडर द्वारा)..... (मजिस्ट्रेट) के समक्ष .....20.....के .....मास के .....दिन हाजिर हो या यदि आप मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर हुए बिना आरोप के दोषी होने का अभिवचन करना चाहे तो आप दोषी होने का लिखित रूप से अभिवचन और जुर्माने के रूप में ..... रुपये की राशि उपर्युक्त तारिख के पूर्व भेज दे या यदि आप प्लीडर द्वारा जाहिर होना चाहे और दोषी होने का अभिवचन ऐसे प्लीडर की मार्फत करना चाहे तो अपनी ओर से इस प्रकार दोषी होने का अभिवचन करने के लिए आप ऐसे प्लीडर को लिखित रूप से प्राधिकृत करें और ऐसे प्लीडर की मार्फत जुर्माने का संदाय करें। इसमें चूक नहीं होनी चाहियें।

ता0..... के 20.....

न्यायालय की मुद्रा

हस्ताक्षर

नोट :- इस सम्मन में वर्णित अर्थदण्ड की धनराशि संलग्न के द्वारा भारतीय स्टेट बैंक का किसी भी शाखा में जमा करके आप अपना मुकदमा समाप्त करा सकते हैं।